म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर -302016

M.S. Regional Ayurveda Research Institute

(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)

Indira Colony, Bani Park, Jhotwara Road, Jaipur – 302016

फा.सं. 1–2/2003/सीआरआईए/जेपी/प्रशा./पार्ट–IV/ दिनांक 15.06.2023

नकारा सामान की नीलामी की शर्तें एवं नियम

1. संस्थान में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी सामग्री की नीलामी "जहां है जैसा है" स्थिति के आधार पर दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे संस्थान परिसर में की जानी है।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व इच्छुक फर्म/व्यक्ति द्वारा आरक्षित मूल्य रू 61,000 का 10 प्रतिशत अर्थात् रू. 6,100/– संस्थान के लेखा अनुभाग में अमानत राशि के रूप में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी एवं मूल रसीद को इस कार्य के लिए गठित नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही बोली लगाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
3. नकारा सामान की नीलामी में सम्पूर्ण सामग्री की एक साथ बोली लगाई जायेगी। किसी भी सामग्री की पृथक रूप से बोली नहीं लगाई जायेगी।
4. बोली में भाग लेने वाली फर्म/व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई पूल का गठन नहीं करेंगे तथा किसी भी तरह की कोई दुरभि संधि पाये जाने पर या प्रतीत होने पर बोली रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।
5. बोली में भाग लेने वाली फर्म/व्यक्ति प्रमाण हेतु फर्म का लेटर हैड/सील/आई.डी. प्रूफ साथ लायेंगे।
6. सफल/उच्चतम बोलीकर्ता को बोली राशि में से अमानत राशि रू 6,100/– कम करके बोली समाप्त होने के 24 घण्टे भीतर शेष राशि संस्थान के लेखाशाखा में जमा करानी होगी।
7. असफल बोलीकर्ताओं की अमानत राशि बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् मल्टीसिटी चैक द्वारा लौटा दी जायेगी।
8. सम्बन्धित समिति पूर्ण जमा राशि की रसीदों को देखने के पश्चात् सम्पूर्ण नकारा सामग्री सफल बोलीकर्ता को सौंप देगी।
9. सफल बोलीकर्ता द्वारा अगले कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्ण होने तक सम्पूर्ण नकारा सामग्री को अपने संसाधनों द्वारा अपने खर्चे से उठाना आवश्यक होगा, उक्त में विफल होने पर संस्थान को नकारा सामग्री द्वितीय नम्बर के बोलीकर्ता को सौंपने का अधिकार होगा तथा शेष अन्तर राशि की वसूली प्रथम बोलीकर्ता की जमा राशि में से की जायेगी।
10. किसी भी बोली को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संस्थान प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा।
12. नीलामी के बाद सफल बोलीदाता फर्म के द्वारा समस्त नकारा सामग्री ले जाने के दौरान यदि संस्थान भवन में कोई टूट–फूट/क्षति होती है, तो उसकी भरपाई सम्बन्धित सफल बोलीदाता फर्म से की जावेगी।
13. सफल बोलीकर्ता जी.एस.टी. की राशि स्वंय जमा करवारकर संस्थान के लेखाशाखा में चालान प्रस्तुत करेगें।

16/06/23

(डॉ. बी. आर. मीणा)
सहायक निदेशक प्रभारी